ायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

सीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0
जस्व अपील संख्या : 04/2013

पीलान्ट्स :- बनाम रेस्पोडेन्ट्स :-

ोहनसिंह के कायम मुकामः-

1. गोविन्दसिंह पुत्र मोहनसिंह,
2. शिवदत्तसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. नारायणसिंह पुत्र मोहनसिंह
4. कंवराजदान पुत्र मोहनसिंह
5. उच्छब कंवर बेवा मोहनसिंह
6. सरदार कंवर बेवा मोहनसिंह
7. गुलाब कंवर पुत्री मोहनसिंह,

जातियान-चारण, निवासीगण :-
काँवलिया कला तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राजस्थान)

1. मनोहरदान पुत्र जसदान
जाति-चारण,
निवासी-काँवलियां कलां
तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956

तारीख रजू : 18/07/2013

उपस्थित: 1. श्री चावण्डदान बारहठ अधिवक्ता, अपीलान्ट्स्।
2. श्री अमित त्रिपाटी, अधिवक्ता, रेपोडेन्ट।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 13/01/2015**

वकील मय अपीलान्ट्स ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध रेस्पोडेन्ट इस आशय की प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा काँवलिया कलां तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 83, 84, 85, 86 कुल रकबा 17.18 बीघा की कृषि भूमि का एक राजस्व वाद सं. 61/85 अनवान मोहनसिंह बनाम बेणीदान वगैरह का बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें दिनांक 30.08.1986 को दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने से जरिये राजीनामा डिक्री हुआ। उक्त वाद में प्रतिवादीगण कालूसिंह, माधुसिंह, बेणीदान, इन्द्रभान ने वादी मोहनसिंह से राजीनामा किया। उक्त भूमि वादी मोहनसिंह के अकेले की खातेदारी भूमि की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री अपीलाण्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में यानि स्व. मोहनसिंह के पक्ष में जारी की गई। राजस्व वाद सं. 61/85 के राजीनामा, निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश की है। इस बाबत् निर्णय व डिक्री की अनुपालना में राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने व अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का आदेश उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा तहसीलदार जैतारण व हल्का पटवारी को भेजा गया। जिसकी पालना तहसीदार, जैतारण व हल्का द्वारा नहीं की गई, न ही राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किया गया। राजस्व वाद सं. 61/85 में प्रतिवादी माधुसिंह की मृत्यु होने पर वादी/अपीलाण्ट मोहनसिंह के पक्ष में डिक्री किये गये। खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

85 व 86 में माधुसिंह के फौतेदगी का म्युटेशन दलपतसिंह, सवाईसिंह व सुगनकंवर के नोट भरा गया तथा दलपतसिंह, सवाईसिंह व सुगनकंवर ने दिनांक 14.07.2009 को जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान के उक्त भूमि जो उनकी थी ही नहीं का अन्य भूमियों के साथ लिखित पंजीबद्ध बैचान कर दिया, जिसके आधार पर खसरा नम्बर 85 व 86 अपीलाण्ट/प्रार्थीगण भूमि का बैचान रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी के नाम दिनांक 14.07.2009 को लिखित पंजीबद्ध बैचान के आधार पर दर्ज कर दिया गया। जबकि बैचानकर्ता की भूमि थी नही, न ही किसी प्रकार के कोई हक, अधिकार व कब्जा काश्त था। उक्त भूमि अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि हैं। म्युटेशन सं. 544 खसरा नं. 85 व 86 का अवैध व गैरकानूनी है जो काबिल खारिज के है। इसलिए म्युटेशन सं. 544 को निरस्त करने बाबत् अपीलाण्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। दिनांक 14.07.2013 को अपीलाण्ट/प्रार्थीगण द्वारा पटवारी हल्का से रेकर्ड देखने पर मालूम हुआ कि अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 85 व 86 में गलत रुप से रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी मनोहरदान के नाम का म्युटेशन दर्ज किया गया, तब उसकी प्रमाणित प्रति हेतु तहसील कार्यालय जैतारण में अपीलाण्ट द्वारा आवेदन करने पर दिनांक 03.07.2013 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, जो अपील के साथ पेश की हैं। अपीलाण्ट को म्युटेशन सं. 544 का सर्वप्रथम इल्म व ज्ञान दिनांक 03.07.2013 को होने से DATE OF KNOWLEDGE से 30 दिन के भीतर यह अपील रेस्पोडेण्ट के खिलाफ अन्दर म्याद पेश की हैं। दिनांक 08.08.2009 से दिनांक 03.07.2013 की समयावधि कण्डोन करने बाबत् धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत की हैं। दिगर उज्रात बरवक्त बहस अपील अर्ज किये जायेंगे। अप्रार्थी की तलबी हेतु तलबाना व नोटिस एवं अपील की प्रति साथ पेश की हैं। उक्त अपील का सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त हैं। राजस्व अपील के संलग्न प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम शपथ-पत्र वास्ते म्याद की समयावधि को कण्डोन किये जाने तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये की जाकर दिनांक 08.08.2009 से 03.07.2013 की समयावधि को डिले को कण्डोन किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस प्रकार वकील अपीलान्ट ने अपील मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर ख.नं. 85 व 86 में पारित म्यूटेशन सं. 544 को रद्ध किये जाने तथा न्यायालय हाजा के राजस्व वाद संख्या 61/85 की पारित डिक्री दिनांक 30.08.1986 अनुसार पालना दर्ज करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मनस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट मनोहरदान की ओर से श्री अमित त्रिपाटी अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं ईकबालिया जबाब पेश कर निवेदन किया है सरहद मौजा काँवलियां कलां में वाके आराजी खसरा नं0 83 रकबा 11-06 बीघा किस्म चाही चारम, ख0नं0 84 रकबा 0=08 बीघा चाहीसो0, ख.नं. 85 रकबा 4-14 बीघा किस्म चाही सोयम, ख.नं. 86 रकबा 3-00 बीघा कुल रकबा 19-64 स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 85 व 86 का एक राजस्व वाद सं. 61/85 अनवान मोहनसिंह बनाम बेणीदान वगैरह के वाद में दोनों पक्षों के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मध्य राजीनामा हो जाने से जरिए राजीनामा वाद डिक्री हुआ था। उक्त राजस्व वाद में प्रतिवादी माधुसिंह की मृत्यु होने पर वादी मोहनसिंह के पक्ष में डिक्री किये गये ख.नं. 85 व ख.नं. 86 में माधुसिंह के फौतेदगी म्युटेशन दलपतसिंह सवाईसिंह व सुगनकंवर के नाम भरा गया तथा दलपतसिंह सवाईसिंह व सुगनकंवर ने दिनांक 14.07.2009 को जरिए लिखत पंजीबद्ध बैचान के रेस्पाडेण्ट/अप्रार्थी मनोहरदान को बैचान कर दी, उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान के जरिए म्युटेशन सं. 544 अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। जबकि उक्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय से अपीलान्ट के पक्ष में पूर्व में डिक्री हो चुकी थी, माननीय न्यायालय से डिक्री हो जाने के पश्चात् अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में म्युटेशन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। माधूसिंह के का0मु0 दलपतसिंह, सवाईसिंह व सुगनकवंर को मुझ अप्रार्थी को ख.नं. 85 व ख.नं. 86 की भूमि को दिनांक 14.07.2009 को बैचान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान के आधार पर मेरे नाम से राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हुआ हैं। इसलिए मौजा-काँवलिया कलां द्वारा दिनांक 08.08.2009 ग्राम पंचायत कांवलिया कलां भरा गया म्युटेशन माननीय न्यायालय द्वारा पूववर्ती राजस्व वाद सं. 61/85 में डिक्री के आधार पर निरस्त (केन्सिल) किया जाता है तो उसमें मुझ अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई आपति व उज्र, एतराज नहीं हैं तथा सरहद मौजा कांवलिया कलाँ में वोके आराजी खसरा नम्बर 85 व 86 का अपीलान्ट/ प्रार्थीगण के नाम डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने पर भी रेस्पोडेण्ट/ अप्रार्थी मनोहरदान को कोई एतराज नहीं हैं। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने ईकबालिया जबाब का प्रा0पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर मौजा-कांवलियां कलां में स्थित ख.नं. 85 व 86 का पूर्ववर्ती वाद डिक्री अनुसार अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने की स्वीकारोक्ति की हैं।

बहस अपील सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्टस ने व्यक्त किया कि ख. नं. 85 व 86 में गलत रूप से रेस्पोडेन्ट मनोहरदान के नाम ना0सं0 544 दिनांक 08.08.2009 को पारित किया गया, अवैध एवं गलत रूप से पारित किया गया, जिसे रद्ध किये जाने तथा न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व वाद सं0 61/85 मोहनसिंह बनाम वैणीदान वगैरह में जारी डिक्री दिनांक 30.08.1986 अनुसार पालना करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जिसके जबाब बहस में वकील रेस्पोडेन्ट ने व्यक्त किया कि दिनांक 14.07.2009 को लिखत पंजीवद्ध बेचान के जरिए ना0सं0 544 राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय दिनांक 30.09.1986 को दोनों पक्षों के मध्य जरिए राजीनामा वाद डिक्री किया गया। जिसकी पालना न होकर उक्त ना0सं0 544 दिनांक 08.08.2009 को गलत रूप से स्वीकार किया गया। जिसे निरस्त किया जाकर डिक्री दिनांक 30.08.1986की पालना करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील मय रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को स्वीकार कर माफिक डिक्री पालना करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व अपील, ईकबालिया जबाब रेस्पोडेन्ट दिनांक 12.01.2015 तथा दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत ई0 जबाब तथा दस्तावेजात तथा पंजीबद्ध दस्तावेजात एवं राजस्व वाद सं0

उपखण्ड अधिकारी
बेदारण (पाली)

Scanned by CamScanner

61/85 मोहनसिंह बनाम बेणीदान वगैरह में जारी डिक्री पर्चा दिनांक 30.08.1986 जरिए ... पक्ष राजीनामा से होती हैं। लिहाजा अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाना, ना0सं0 544 दिनांक 08.08.2009 को खारिज किया जाना तथा डिक्री पर्चा दिनांक 30.08.1986 की छायाप्रति तहसीलदार जैतारण को भेजी जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। दिनांक 08.08.2009 को पारित ना0सं0 544 काबिज खारिज है, लिहाजा खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को राजस्व वाद 61/85 मोहनसिंह बनाम बेणीदान वगैरह में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात् मय डिक्री पर्चा दिनांक 30.08.1986 की छाया प्रतियाँ प्रेषित कर आदेशित किया जाता हैं कि वह पारित डिक्री अनुसार विधिवत् रूप से नये सिरे से चूँकि रेस्पोडेन्ट ने ईकबालिया जबाब में अपील के तथ्यों को संपुष्ट किया हैं। तहसीलदार जैतारण को माफिक डिक्री दिनांक 30.08.1986 अनुसार पालना किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में नये सिरे से नामान्तरकरण पारित कर अपीलान्टस् के नाम अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी होकर उक्त निर्णय व डिक्री मय दस्तावेजात की छाया भेजकर पालना हेतु लिखा जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 13.01.2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner